

**जनपद उत्तरकाशी तहसील भटवाडी (ग्रामीण क्षेत्र)**

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)												वृद्धांततीय		नै	
				कृषि भूमि (प्रति हे)				अकृषि भूमि (प्रति वर्ग मीटर)								भटुवांततीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट की दर सुपर एरिया (प्रति वर्ग मीटर) (80% वृद्धि)	वाणिज्यिक भवन की दर		
				प्रस्तावित दर				प्रस्तावित दर				प्रस्तावित दर					दुकान / रेस्तरां / कार्यालय कागज का प्रतिष्ठान (प्रति वर्ग मीटर) (30% वृद्धि)		अन्य वाणिज्यिक भवन की दर
				पूर्व से प्रचलित दर	0 से 50 मीटर (15% वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10% वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (5% वृद्धि)	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (20% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (15% वृद्धि)	पूर्व दर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		1-रावण का पवेल तथा गरमानी व मनोरी लोक, 2-नेवाला का मोहरा लोक, 3-हिम का बाजार लोक व अथारखाला लोक 4-मनोरी का बाजार व डेरा कालेनी डेरा 5-श्रीमती का मादुली लोक 6-सैव का बाजार लोक 7-कुआली, 8-लोट 9-मल्ला, 10-मल्ला, 11-मल्ला का बाजार वाला डेरा	कृषिक्षेत्र-मनोरी राष्ट्रीय राजमार्ग	1320000	1518000	1452000	1386000	892	1070	727	836	156	172	18060	21050	18060	16		
		1-रावण 2-नेवाला 3-हिम, 4-मनोरी 5-सैव 6-मल्ला का बाड़ी मल्ला लोक, 7-हिम का मनोरी 8-सुपर का बाजार लोक, 9-मनोरी (मनोरी / डेरा) 10-कुली का मर्म कुल, 11-कुली, 12-मल्ला, 13-मल्ला, 14-हंकिर	कृषिक्षेत्र-मनोरी राष्ट्रीय राजमार्ग	1298000	1492700	1427800	1362900	694	833	568	653	153	168	17802	20792	17802	16		
3	श्रेणी-ग	1-पाला 2-बार्ह	भटवाडी-बार्ह मोटरमार्ग	1232000	1416800	1355200	1293600	564	677	484	557	146	161	17633	20623	17633	16		
4	श्रेणी-ग	1-बसर्क 2-मनोरी 3-नदीम 4-सैव	भटवाडी-सैव मोटरमार्ग	1232000	1416800	1355200	1293600	564	677	484	557	146	161	17633	20623	17633	16		
5	श्रेणी-ग	1-पानी 2-पानी 3-मोहरा 4-जखोल	भटवाडी-मोहरा मोटरमार्ग	1232000	1416800	1355200	1293600	564	677	484	557	146	161	17633	20623	17633	16		
6	श्रेणी-ग	1-मोहरा 2-सारी	मल्ला-मोहरा मोटरमार्ग	1232000	1416800	1355200	1293600	564	677	484	557	146	161	17633	20623	17633	16		
7	श्रेणी-ग	1-मल्ला (मल्ला लोक)	मनोरी-मनोरी मोटरमार्ग	1232000	1416800	1355200	1293600	564	677	484	557	146	161	17633	20623	17633	16		
8	श्रेणी-ग	1-जोकाणी 2-जखोल	सैव-जखोल मोटरमार्ग	1232000	1416800	1355200	1293600	564	677	484	557	146	161	17633	20623	17633	16		
9	श्रेणी-ग	मल्ला	मिना-मल्ला मोटरमार्ग	1232000	1416800	1355200	1293600	564	677	484	557	146	161	17633	20623	17633	16		
10	श्रेणी-स	1-मुल्ला 2-जखोल 3-मनोरी 4-मोहरा, 5-पुल्ला, 6-कुल्ला, 7-सैव, 8-मिना, 9-जखोल, 10-मिना, 11-मुल्ला, 12-सैव, 13-सैव, 14-कोर, 15-मिना, 16-कोर, 17-जखोल, 18-मिना, 19-मिना, 20-जखोल लोक	उत्तर कोर भी ग्राम मोटर मार्ग से आकाशित नहीं है।	1210000	0	0	1270500	0	0	0	0	143	157	17086	20076	17086	16		

*[Handwritten signatures and marks on the left margin]*

नोट-1- अकुषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित ग्राहक हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2- 0.100 हेक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकुषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

3- मू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कोर्नर पर स्थित है, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजरीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह मू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए मू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

तहसीलदार

हुण्डा।

सहायक निबन्धक,

सहकारी समितियां उत्तरकाशी।

अधिकांशी अभियंता

लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।

उपअधिकांशी

भटवाड़ी।

अपर अधिकांशी

उत्तरकाशी।

जिला  
उत्तर



जनपद उत्तरकाशी तहसील भटवाड़ी (नगरीय क्षेत्र)

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	मुख्य मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)															बहुमंजरीय अवसीय भवन में स्थित अवसीय फ्लैट की दर ग्राम परिसर (प्रति वर्ग मीटर) (30% वृद्धि)	वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)		ग्राम श्रेणी द्वितीय श्रेणी (एकक) (30% वृद्धि)	ग्राम श्रेणी तृतीय श्रेणी (एकक) (30% वृद्धि)
				पूर्व से प्रचलित दर	कृषि भूमि (प्रति हे०) प्रस्तावित दर			अकृषित भूमि (प्रति वर्ग मीटर) प्रस्तावित दर						दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय (30% वृद्धि)	अन्य वाणिज्यिक प्रस्थान (30% वृद्धि)								
					0 से 50 मीटर (15% वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10% वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (5% वृद्धि)	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (20% वृद्धि)	पूर्व दर			प्रस्तावित दर (10% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (5% वृद्धि)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1					
1	श्रेणी क	शुद्धिकेय - नगरीय सडकमार्ग को सहक के दोनो ओर स्थित गोजा नगरीय की भूमि	नगर पंचायत नगरीय	11076000	12737400	12183600	11629800	1200	1440	1200	1380	1200	1320	18460	21450	18460	17160	15					

नोट-1- अकृषित भूमि / समपत्ति / कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निधारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निधारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि / समपत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निधारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2- 0.100 हैक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निधारित दरें ही लागू की जायेगी।

3- मू-तल पर स्थित दुकान / वाणिज्यिक प्रस्थान यदि दो मार्गों पर अवका कर्नर पर स्थित है, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजरीय आवसीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह मू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल से अधिक के लिए मू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

तहसीलदार  सहायक निबन्धक,  अधिशासी अभियंता  उपमहिलाधिकारी  अपर जिलाधिकारी  जिलाधिकारी 

हुम्ला। सहकारी समितियां उत्तरकाशी। लो10नि10वि उत्तरकाशी। भटवाड़ी। उत्तरकाशी। उत्तरकाशी।

# जनपद उत्तरकाशी उप तहसील जोशियाड़ा (ग्रामीण क्षेत्र)

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / गोल्लो/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)														गैर वर्ग
				कृषि भूमि (प्रति हेक्)				अकृषित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)										
				पूर्व से प्रचलित दर	प्रस्तावित दर			प्रस्तावित दर		प्रस्तावित दर		प्रस्तावित दर		बहुमंजरीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट की दर (प्रति वर्ग मीटर) ऐरिया सुपर (30% वृद्धि)	वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)		प्रम भू (प्रति वर्ग मीटर) (30% वृद्धि)	
					0 से 50 मीटर (15% वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10% वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (05% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (20% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (15% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (10% वृद्धि)		हुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (30% वृद्धि)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	श्रेणी-क	1-मानपुर का बाजार क्षेत्र 2- अरुंध का बाजार क्षेत्र , 3- साका का बाजार क्षेत्र 4-बलन का बाजार क्षेत्र	उत्तरकाशी-समानांग मोटर मार्ग	1276000	1467400	1403600	1339800	585	702	501	576	151	166	17661	20651	17661	1636	
2	श्रेणी-ख	1-मानपुर 2-सादगंज 3-मानपुर 4-बलन, 5- साका, 6-अरुंध	उत्तरकाशी-समानांग मोटर मार्ग	1254000	1442100	1379400	1316700	575	690	492	566	148	163	17648	20638	17648	1634	
3	श्रेणी-ग	1-गोल्लो,	गंगोत्री-संगमपट्टी मोटरमार्ग	1232000	1416800	1355200	1293600	564	677	484	557	146	161	17633	20623	17633	1633	
4	श्रेणी-ग	1-परा 2-संगमोली,	देवला-महिलाबाब मोटर मार्ग	1232000	1416800	1355200	1293600	564	677	484	557	146	161	17633	20623	17633	1633	
5	श्रेणी-ग	1-माताली 2-मैनाली 3-कुपली, 4-ककराही	मुक्तिवाली-कुपली ककराही मोटरमार्ग	1232000	1416800	1355200	1293600	564	677	484	557	146	161	17633	20623	17633	1633	
6	श्रेणी-ग	1-बुधगा 2-साका 3-गमदिबारांग,	शाम्पा-साका मोटरमार्ग	1232000	1416800	1355200	1293600	564	677	484	557	146	161	17633	20623	17633	1633	
7	श्रेणी-ग	उत्तारों	गंगोत्री-उत्तारों मोटरमार्ग	1232000	1416800	1355200	1293600	564	677	484	557	146	161	17633	20623	17633	1633	
8	श्रेणी-ग	किशनपुर, मानपुर	मानपुर-किशनपुर मोटरमार्ग	1232000	1416800	1355200	1293600	564	677	484	557	146	161	17633	20623	17633	1633	
9	श्रेणी-घ	1-नौगा 2-मकोली, 3-अगोडा, 4-ददरका 5-साका, 6-शाम्पा, 7-उराली, 8-साकोट, 8-गोबरी, 9-सिरियाग, 10-सिरकोट, 11-दिलौदा (पंच लोक को छोड़कर) 12-दयालपुरांग	मोटर मार्ग से आवागमन न होने वाले ग्राम	1210000	0	0	1270500	0	0	0	0	143	157	17086	20076	17086	1578	

नोट-1- अकृषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित मूलभूत हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2- 0.100 हेक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

3- मूल-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्पेज पर स्थित हैं, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजरीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह मूल-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए मूल-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

तहसीलदार

सहायक निबंधक,

अधिकासी अभियंता

उपनिवाधिकारी

अपर निवाधिकारी

जिलाधि

हुण्डा।

सहकारी समितियां उत्तरकाशी।

लोडनोवि0 उत्तरकाशी।

मटवाड़ी।

उत्तरकाशी।

उत्तरका

**जनपद उत्तरकाशी उप तहसील जोशियाड़ा (अर्द्धनगरीय क्षेत्र)**

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजमार्ग ग्रामी की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)																					
				कृषि भूमि (प्रति हे०)			अकृषित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)																		
				पूर्व से प्रवर्धित दर	प्रस्तावित दर			प्रस्तावित दर							बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट की दर							वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					0 से 50 मीटर (15% वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10% वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (05% वृद्धि)	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (20% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (15% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (10% वृद्धि)	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय (30% वृद्धि)	अन्य वाणिज्यिक (30% वृद्धि)	ग्राम श्रेणी (प्रकाश) (100% वृद्धि)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/ कच्चा) (30% वृद्धि)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	श्रेणी-क	जोशियाड़ा, लदाही, कपथेण, डाम,...	अर्द्धनगरीय क्षेत्र	15780000	18147000	17358000	16569000	2184	2621	2184	2512	2184	2402	19739	22729	19739	18439	17139							
2	श्रेणी-ख	दिलोहा, मागदो, कोटियालगांव	अर्द्धनगरीय क्षेत्र	15780000	18147000	17358000	16569000	2184	2621	2184	2512	2184	2402	19739	22729	19739	18439	17139							
3	श्रेणी-ग	दिलोहा का मनरा लोक	अर्द्धनगरीय क्षेत्र	7884000	9066600	8672400	8278200	1044	1253	1044	1201	1044	1148	18257	21247	18257	16957	15657							
4	श्रेणी-घ	बौगा, भैलूडा, जखपुर	अर्द्धनगरीय क्षेत्र	5616000	6458400	6177600	5896800	828	994	828	952	828	911	17976	17976	17976	16676	15376							

नोट-1- अकृषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित मूख्यपथ हेतु उपर्युक्तानुसार निर्धारित मन्नी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2- 0.100 हेक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

3- भू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अवका कर्नर पर स्थित है, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजलीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। बेसीट एवं प्रथमतः, द्वितीय तल व तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

तहसीलदार  
डुण्डा।

सहायक निबन्धक,  
कारी समितियां उत्तरकाशी।

अधिशाली अभियंता  
लो10नि0वि0 उत्तरकाशी।

उपजिलाधिकारी  
भटवाड़ी।

अपर जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी।

# जनपद उत्तरकाशी उप तहसील जोशियाड़ा (नगरीय क्षेत्र)

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामी की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)																	नगर
				अकुंभित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)																	
				प्रस्तावित दर																	
				कृषि भूमि (प्रति हे०)			प्रस्तावित दर														
पूर्व से प्रचलित दर	प्रस्तावित दर			0 से 50 मीटर			50 से 200 मीटर			200 मीटर से अधिक			बहुमंजलीय भवन में स्थित आवासीय भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)			अन्य (प्रति वर्ग मीटर)				
	0 से 50 मीटर (15% वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10% वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (05% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (20% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (15% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (10% वृद्धि)	15	16	17									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	श्रेणी क	राजस्व ग्राम बाह्यहाट के बाई -न०-2 सुनारखोला, वाल्मीकी बस्ती, गंगानगर कक्ष बाई न० 4-खिला शिक्षितालय, भटवाही मार्ग, गांधी पार्क कक्ष, बाई न०6 -मस्जिद मोहल्ला, कलकट्टे कालोनी, जयला बाह्यहाट, बाई न० 8 रामलीला मेदान, केदारघाट कक्ष, जयपुर मन्दिर, बाई न०9-कपूर मोहल्ला, जहमरत मार्ग, कालीकमली घमेशाला, बाई स० 5 का लक्षेश्वर	नगर पालिका क्षेत्र उत्तरकाशी	33800000	38870000	37180000	35490000	3640	4368	3640	4186	3640	4004	21632	24622	21632	20				
2	श्रेणी ख	राजस्व ग्राम ज्ञानपुर के बाई न० 1-पाड़ली, बाई न०3-पल्ला ज्ञानपुर, लिहाडा, पशुशिक्षितालय, पुलिसलाइन कक्ष,	नगर पालिका क्षेत्र उत्तरकाशी	32500000	37375000	35750000	34125000	3510	4212	3510	4037	3510	3861	21463	24453	21463	20				
3	श्रेणी ग	राजस्व ग्राम गंगोरी बाई न० 5-गंगोरी राजस्व ग्राम बाह्यहाट बाई न० 5, गुफियाय, व खाण्ड बाई न० 1 इन्दा कालोनी, तांबाखानी राजस्व ग्राम ज्ञानपुर के बाई न०7 - ज्ञानमन्दिर, जौकाणी, हाईविल कक्ष	नगर पालिका क्षेत्र उत्तरकाशी	31200000	35880000	34320000	32760000	3380	4056	3380	3887	3380	3718	21294	24284	21294	19				

नोट-1-अकुंभित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित भानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

क-18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ख-15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ग-12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

घ-05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,


तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 06 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।


2-0.100 हेक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकुंभित भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दर ही लागू की जायेगी।

3-भू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कोन पर स्थित है, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4-बहुमंजलीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथम तल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

  
तहसीलदार  
हुपडा।

  
सहायक निबन्धक,  
ने समितियां उत्तरकाशी।

  
अधिकासी अभियंता  
लो०नि०वि० उत्तरकाशी।

  
उपजिलाधिकारी  
भटवाही।

  
उपजिलाधिकारी  
उत्तरकाशी।

  
तहसीलदार  
उत्तर



**जनपद उत्तरकाशी तहसील डुण्डा (ग्रामीण क्षेत्र)**

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)														वस्तुमानाधारित आवासीय भवन में स्थित आवासीय परत की दर		योगात्मिक भवन की दर	
				कृषि भूमि (प्रति हे०)			अकुंश्चित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)											क्षेत्रा	गुर	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय (300% वृद्धि)	अन्य (300% वृद्धि)
				पूर्व से प्रयोजित दर	प्रस्तावित दर			0 से 50 मीटर			50 से 200 मीटर			200 मीटर से अधिक							
					0 से 50 मीटर (15% वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10% वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (5% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (20% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (15% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (10% वृद्धि)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	श्रेणी-क	पटारा (नालपाणी तोक), रस्तुकीसेरा, मेवला(बरसाली), विनावासेली, बरसाली (मिचला नाकुली), खट्टुखाल (कनबासा तोक)।	1-बरासू-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	1290000	1483500	1419000	1354500	805	966	630	725	168	185	17947	20937	17947					
2	श्रेणी-ख	कौडा-फेडी, कल्याणी, हरेली, पन्नेख, भद्राली, कुमराका, जसापुर, जुगुली, नाल, मयोंगोटी, विनेख, सौन्द (पण्डारसू), बयालखेत, पैथर, मोडियासाली।	1-बरासू-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	1268500	1458775	1395350	1331925	635	762	520	598	165	182	17726	20716	17726					
3	श्रेणी-ग	अरसल, रनाडी, हिटाणू, गवणा, दिकरिवापुर, किरण, कोटी-माटगांव, फोल्ह, बगसारी, चकोन, पिपली-मंजकोट, भटवाडी-धनारी, गुजारागंजनारी), बमगांव, विलमुडगांव, उदालका, मालसी, दिगखात।	1-देवीधार-रनाडी मोटर मार्ग 2-देवीधार-फोल्ह मोटर मार्ग	1247000	1434050	1371700	1309350	585	702	500	575	162	178	17661	20651	17661					
4	श्रेणी-घ	मंजगांव बाण, नवागांव,मैनाल,रूकेख (पट्टी भण्डारसू), रेशणी, टिपरा, जोगियाडा, छमरीली, जेसर, मैनाल, जुणगा, जखारी, पटारा, मालना, मेवला (पट्टी बरसाली), बौन, सिंगुणी, दुनी, गण्डा-बाण्डा, पैनी-बवान, ईर, धाली, कसीगांव, बयालगांव, पट्टी, दहमाली, झग, जसापुर, जुगुली, गढ(बरसाली), खरवा, सौन्द (बरसाली), पञ्चाला, बरसाली, कवा, खुरकोट, मसगांव, उपरीकोट, माट्टेरा, कुन्सी, पाव, मंगलीसेरा, सिंगोट, बान्द, लोल्ह आल्या, दिगखेत, बरीयालगांव , रागडीसेरा, सांगोसेरा,	1-विलवारा-बमगांव मोटर मार्ग 2-ब्रह्मखाल-जुणगा मोटर मार्ग 3-कल्याणी-पटारा मोटर मार्ग 4-जोवला-बौन मोटर मार्ग 5-देवीधार-पट्टी मोटर मार्ग 6-गुजारागंज-दहमाली मोटर मार्ग 7-कल्याणी-जुणगा मोटर मार्ग 8-नाकुली-सिंगोट मोटर मार्ग 9-स्थालना-जसापुर-झग-औल्या मोटर मार्ग 10-जोवला-जुगुली-पञ्चाला मोटर मार्ग 11-रूकेडी-कवा मोटर मार्ग 12-झागसू-साण्ड-उपरीकोट मोटर मार्ग, 13-स्थालना-नवागांव मोटर मार्ग 14-कल्याणी-हरेली मोटर मार्ग 15-कट्टुडा-देवला कुपुड मोटर मार्ग 16-मंगलीसेरा-कुन्सी मोटर मार्ग	1204000	1384600	1324400	1264200	435	522	370	426	157	173	17466	20456	17466					

*(Handwritten signatures and marks)*



5	श्रेणी-क हुआनावा, सोन, पुजारावा (मन्डारवा), मसोन, सरतली, कुलेश, चिनाणावा, हुतालाधार पयाणावा, हुतालागाव, डोण्डगाव, माणक, धारकोट, मुसहनीव, दिवली।	उक्त कोई भी ग्राम नोटर मार्ग से आच्छादित नहीं है।	1182.500		12416.25	0	0	0	0	155	171	17102	20092	17102
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------	--	----------	---	---	---	---	-----	-----	-------	-------	-------

नोट-1- अकृषित भूमि/समाप्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निम्नलिखित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित मूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निम्नलिखित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/समाप्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,


तो उक्त दशा में श्रेणीवार निम्नलिखित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।


2- 0.100 हैक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निम्नलिखित दरें ही लागू की जायेगी।

3- मू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कर्नर पर स्थित हैं, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजरीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह मू-तल की दरें हैं। वेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए मू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

  
तहसीलदार  
हुण्डा।

  
सहायक निबन्धक,  
सहकारी समितियां उत्तरकाशी।

  
अधिरासी अभियंता  
लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।

  
उपजिलाधिकारी  
भटवाड़ी।

  
अपर जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी।

**जनपद उत्तरकाशी तहसील डुण्डा (अर्द्ध नगरीय क्षेत्र)**

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	ग्राम मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)													
				कृषि भूमि (प्रति हे०)			अकृषित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)										
				पूर्व से प्रचलित दर	प्रस्तावित दर			प्रस्तावित दर									
					0 से 50 मीटर (15% वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10% वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (05% वृद्धि)	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	आवासीय भवन में फ्लैट आवासीय	वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)					
				पूर्व दर	प्रस्तावित दर (20% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (15% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (10% वृद्धि)	मकान / मकान की दर गुरर पैरिश (प्रति वर्ग मीटर) (30% वृद्धि)	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय प्रतिष्ठान (30% वृद्धि)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (30% वृद्धि)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	श्रेणी-क 1-बड़ेथी, 2-मातली,		घरायू, नगरीय राष्ट्रीय राजमार्ग	7800000	8970000	8580000	8190000	875	1050	810	932	795	875	18038	21028	18038	
2	श्रेणी-ख 1-पैरला (फाटारस्यू), 2-बीपुर, 3-डुण्डा, सिमौटी		घरायू, नगरीय राष्ट्रीय राजमार्ग घरायू, यमुनोत्री राजराष्ट्रीय राजमार्ग	7500000	8625000	8250000	7875000	840	1008	775	891	760	836	17992	20982	17992	

नोट-1- अकृषित भूमि / सम्पत्ति / कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि / सम्पत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,


तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।


2- 0.100 हैक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।


3- मू-तल पर स्थित दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित है, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजरीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह मू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए मू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

  
तहसीलदार  
डुण्डा।

  
सहायक निबन्धक,  
सहकारी समितियां उत्तरकाशी।

  
अधिकासी अभियंता  
लो10नि0वि0 उत्तरकाशी।

  
उपजिलाधिकारी  
भटवाडी।

  
अपर जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी।

जि  
उत्

**जनपद उत्तरकाशी तहसील जुण्डा (नगरीय क्षेत्र)**

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)													
				कृषि भूमि (प्रति हे०)			अकृषित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में शिफ्ट आवासीय भूखंड की दर (प्रति वर्ग मीटर)			वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)			नैर गांधी (प्रति वर्ग मीटर)	
				पूर्व से प्रवर्धित दर	प्रस्तावित दर			0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर		200 मीटर से अधिक	दुकान / रेस्टोरेंट / सुपर ऐरिया कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (प्रति वर्ग मीटर)			
					0 से 50 मीटर से (15% वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10% वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (05% वृद्धि)		पूर्व दर	प्रस्तावित दर (20% वृद्धि)					पूर्व दर		प्रस्तावित दर (15% वृद्धि)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

शून्य

नोट-1-अकृषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,


तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।


2- 0.100 हैक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।


3- भू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित हैं, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।


4- बहुमंजलीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। वेसमेंट एवं प्रथम तल, द्वितीय तल व तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।


  
तहसीलदार  
जुण्डा।

  
सहायक निबन्धक,  
सहकारी समितियां उत्तरकाशी।

  
अधिकासी अभियंता  
लोनिनिविद उत्तरकाशी।

  
उपजिलाधिकारी  
भटवाड़ी।

  
अपर जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी।

  
जिलाधिर  
उत्तरकाशी।

**जनपद उत्तरकाशी उप तहसील धौन्तरी (ग्रामीण क्षेत्र)**

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / शासक ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)													बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट की दर गुरर रेटिंग (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)
				कृषि भूमि (प्रति हे०)			अकृषित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)											
				प्रस्तावित दर			प्रस्तावित दर											
				पूर्व से प्रचलित दर				0 से 50 मीटर		50 से 200 मीटर		200 मीटर से अधिक						
				0 से 50 मीटर (15% वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10% वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (5% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (20% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (15% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (10% वृद्धि)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	श्रेणी-क	गढ़वाली, बड़ेश्वर(गावपा), गोरसाला, धौन्तरी, चढरी, दिखेवाली, मट्टी, पोखरियालगांव,	1-उत्तरकाशी-लम्बगांव मोटर मार्ग	1225500	1409325	1348050	1286775	515	618	440	506	160	176	17570	20560	17570		
2	श्रेणी-ख	भेरियाल, भडकोट, बागी, कमर, ठाकरी, न्यूगांव, नैपक, भैरव, सिरी, न्यूसारी, हुडिबगण।	1-झौनपुरी-कमर मोटर मार्ग 2-न्यूगांव-सारी-श्रीकालछाल मोटर मार्ग, 3-झौनपुरी-सिरी रिक मार्ग	1204000	1384600	1324400	1264200	435	522	370	426	157	173	17466	20456	17466		
3	श्रेणी-ग	सौह, लोवाडा, कुमरकोट, जालांग, हुडिबगण, चौदियालगांव।	उक्त कोई भी ग्राम मोटर मार्ग से आच्छादित नहीं है।	1182500	0	0	1241625	0	0	0	0	155	171	17102	20092	17102		

नोट-1- अकृषित भूमि / सम्पत्ति / कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निम्नलिखित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निम्नलिखित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि / सम्पत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निम्नलिखित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 06 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2- 0.100 हैक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निम्नलिखित दरें ही लागू की जायेगी।

3- मू-तल पर स्थित दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कॉर्नर पर स्थित है, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजलीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह मू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए मू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

तहसीलदार  
डुण्डा।

सहायक निबंधक,  
सहकारी समितियां उत्तरकाशी।

अधिशासी अभियंता  
लोनोनि0वि0 उत्तरकाशी।

सहायक अधिकारी  
भटवाड़ी।

अपर निदेशिका  
उत्तरकाशी।

जि.  
उत्त

# जनपद उत्तरकाशी उप तहसील धौन्तरी (अर्द्धनगरीय क्षेत्र)

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / गैलवर्सी / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)													
				कृषि भूमि (प्रति हे०)			अकृषित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)										
				पूर्व से प्रचलित दर	प्रचलित दर			प्रचलित दर									
					0 से 50 मीटर (15% वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10% वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (05% वृद्धि)	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	पूर्व दर	प्रचलित दर (20% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रचलित दर (15% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रचलित दर (10% वृद्धि)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	श्रेणी-क 1-धीनतरी, 2-मीटरियाल (क्षेत्रीय लोक).	उत्तरकाशी तमनागं मीटर मार्ग		7150000	8222500	7865000	7507500	805	966	740	851	727	800	17947	20937	17947	

नोट-1-अकृषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2- 0.100 हैक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

3- भू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कर्नर पर स्थित है, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजलीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के फ़्लैट-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतः, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

तहसीलदार  
हुण्डा।

सहायक निबन्धक,  
सहकारी समितियां उत्तरकाशी।

अधिशाली अभियंता  
लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।

उपनिर्देशिका  
भटवाड़ी।

अपर निर्देशिका  
उत्तरकाशी।

जि  
उ

# जनपद उत्तरकाशी उप तहसील धौन्तरी (नगरीय क्षेत्र)

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / गैरवर्ल्ड / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)										बहुमंजलीय भवन में शिफ्ट आवासीय परसैट की दर सुपर ऐरिया (प्रति वर्ग मीटर) (30% वृद्धि)	वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)		प्रति वर्ग मीटर
				पूर्व से प्रचलित दर	कृषि भूमि (प्रति हे०) प्रस्तावित दर			0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	पूर्व दर	प्रस्तावित दर	पूर्व दर	प्रस्तावित दर	पूर्व दर	प्रस्तावित दर	अन्य वाणिज्यिक भवन
					0 से 50 मीटर (15% वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10% वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (05% वृद्धि)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

शून्य

नोट-1-अकृषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,


तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।


2- 0.100 हैक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

3- भू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कर्नर पर स्थित है, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजलीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथम तल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

  
तहसीलदार  
डुण्डा।

  
सहायक निबन्धक,  
सहकारी समितियां उत्तरकाशी।

  
अधिकांसी अभियंता  
लो०नि०वि० उत्तरकाशी।

  
उपजिलाधिकारी  
भटवाड़ी।

  
अपर जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी।

जिल  
उत्तर

**जनपद उत्तरकाशी तहसील विद्यालीसोड़ (ग्रामीण क्षेत्र)**

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)													वहुमूलकीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
				पूर्व से प्रभावित दर	कृषि भूमि (प्रति हे०)			अकुलित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)						वृद्धि (30% वृद्धि)	दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय (प्रति वर्ग मीटर)	अन्य वाणिज्यिक (प्रति वर्ग मीटर)			
					प्रस्तावित दर			0 से 50 मीटर		50 से 200 मीटर		200 मीटर से अधिक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					0 से 50 मीटर (15% वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10% वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (05% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (20% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (15% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (10% वृद्धि)						
1	2																		
1 श्रेणी-क	1-काण्डी, 2-चेरवाली, 3-मोर्फी, 4-बरेट, 5-श्रीकॉट बिस्, 6-कुठाली, 7-नगड़ी, 8-पड़ोली।	1-बड़ेथी-बनवोर-बड़ीगाढ़ मोटर मार्ग,	1244100	1430715	1368510	1306305	522	626	454	522	160	176	17579	20569	1757				
2 श्रेणी-ख	1-समादी, 2-बगारी दरगी, 3-बनोट पल्ला, 4-बनोट वल्ला, 5-बगरी दरगी, 6-बड़ली, 7-पुजारास दरगी, 8-बगारां, 9-कवाट, 10-विष्वा, 11-बंकांगारां, 12-सिगापारां, 13-मंगापारां, 14-रिखांगारां, 15-खरवा, 16-बराटल, 17-उरुखोला, 18-सोली, 19-बराकोट, 20-दिपरी दरगी, 21-टण्डोल, 22-छेकुला, 23-सेरी, 24-तुलगा, 25-नौवाली, 26-मदकोट, 27-कासवा, 28-भीमवारां, 29-जोरात बिचला, 30-जोरात मल्ला, 31-सर्ग, 32-बगारी दिवली, 33-हडियाली, 34-अनाल, 35-बगोही, 36-बगारां, 37-मल्ली, 38-बल्लोरी, 39-खोटी मणी, 40-बड़ीमणी, 41-बरोल, 42-खाली, 43-कुपराडा।	1-सिलवाण बगारां-बागडा सरोट मोटरमार्ग 2-बड़ेथी गुनालीबैठ-उरुखोला-विष्वा- टण्डोल मोटर मार्ग 3-विष्वाली-जोरात मोटर मार्ग 4-मणी-बगारां-खाली मोटर मार्ग	1222650	1406048	1344915	1283783	513	616	446	513	157	173	17567	20557	1756				
3 श्रेणी-ग	1-कास्की, 2-मौघ, 3-कान्दला, 4-गोथोली, 5-डुवा, 6-दिपरी बिस्, 7-कमल, 8-कासवा, 9-बराटी, 10-अदानी, 11-दील, 12-परागा, 13-चमियाली, 14-भीमलखवा, 15-उलगा, 16-मुजारांग नगरी, 17-खारवा, 18-मुगारा, 19-कैथोली, 20-जोखणी, 21-मल्लगुड, 22-सिलोट।	1-विष्वाली-सरोट बागडा मोटरमार्ग 2-टण्डोल-छेकुला मोटर मार्ग 3-बड़ेथी-बनवोर-कान्दला- गौडा कटवाल मोटर मार्ग 4-कैथोली मोटर मार्ग 5-डुवा-दिपरी मोटर मार्ग 6-बनवोर-बगारां मोटर मार्ग 7-विष्वाली-बराटी मोटर मार्ग 8-बराट-दील मोटर मार्ग 9-बराट-चमियाली उलगा मोटर मार्ग 10-मदकोट-दील गोलेकाना मोटर मार्ग 11-चेरवाली-जोखणी मोटर मार्ग 12- बरोल-बड़ीमणी- मल्लगुड मोटर मार्ग 13- कास्की-कोटी-बिरानी मोटर मार्ग 14- सिलोट मोटर मार्ग	1201200	1381380	1321320	1261260	437	524	367	422	155	171	17468	20458	1746				

*Just Ruling*

*Secretary*



4 श्रेणी-घ	1-जोमत तल्ला, 2-गवरागलगाद, 3-कटखाण, 4-चू खालसी, 5-भनकोट, 6-जगहनीव, 7-श्रीकोट दिवली, 8-कोट गमरी, 9-चौदपुर, 10-गमरी खार, 11-जगपुर, 12-कोट नेरी, 13-गढ़वा, 14-गुरेनी, 15-चूरी, 16-दरतद, 17-बनगली, 18-कोट बिष्ट, 19-बानी बिष्ट, 20-सिरा, 21-बानी दिवली।	मोटर मार्ग से आच्छादित न होने वाले ग्रामों में भूमि की दर	1179750	0	0	1238738	0	0	0	0	152	167	17998	20088	1709
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------	---	---	---------	---	---	---	---	-----	-----	-------	-------	------

नोट-1-अकृषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निम्नलिखित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निम्नलिखित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2- 0.100 हैक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निम्नलिखित दरें ही लागू की जायेगी।

3- भू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नेर पर स्थित हैं, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजरीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

तहसीलदार  
हुण्डा।

सहायक निबन्धक,  
सहकारी समितियां उत्तरकाशी।

अधिरासी अभियंता  
लोनोनिविठ उत्तरकाशी।

उपजिलाधिकारी  
भटवाड़ी।

अपर जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी।

**जनपद उत्तरकाशी तहसील चिन्वालीसोड़ (नगरीय क्षेत्र)**

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)															गैर व (
				पूर्व से प्रचलित दर	कृषि भूमि (प्रति हे०)			अकृषित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)						बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर		प्रमाण (30% वृद्धि)		
					प्रस्तावित दर	0 से 50 मीटर (15% वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10% वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (05% वृद्धि)	0 से 50 मीटर		50 से 200 मीटर		200 मीटर से अधिक		दुकान / स्टैल्स / कार्यालय (30% वृद्धि)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (30% वृद्धि)			
									पूर्व दर	प्रस्तावित दर (20% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (15% वृद्धि)	पूर्व दर					प्रस्तावित दर (10% वृद्धि)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1 श्रेणी क	नगर पंचायत चिन्वालीसोड़ के वार्ड नं० 02, चुपल्वा रसमपुर, वार्ड नं०- 3 श्रीराम, वार्ड नं०- 4 पीपलवाडी, वार्ड नं० 5 जोगत रोड एवं वार्ड नं० 6 नामाणी बडी, धनपुर।	1- ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	7920000	9108000	8712000	8316000	2000	2400	1800	2070	1600	1760	19500	22490	19500	182			
2 श्रेणी ख	नगर पंचायत चिन्वालीसोड़ के वार्ड नं० 01 चिन्वाली भुलगाव, वार्ड नं० 07 बडेही धनपुर।	1- ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 2- धनपुर- यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	7920000	9108000	8712000	8316000	1800	2160	1600	1840	1400	1540	19240	22230	19240	175			

नोट-1- अकृषित भूमि/ सम्पत्ति/ कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निम्नलिखित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निम्नलिखित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/ सम्पत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निम्नलिखित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2- 0.100 हैक्टर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्वेषण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निम्नलिखित दरें ही लागू की जायेगी।

3- भू-तल पर स्थित दुकान/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कर्नर पर स्थित है, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुभाषिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजलीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

तहसीलदार  
हुण्डा।

सहायक निबंधक,  
सहकारी समितियां उत्तरकाशी।

अधिराशी अभियंता  
लो०नि०वि० उत्तरकाशी।

उपजिलाधिकारी  
भटवाडी।

अपर जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी।

4	श्रेणी-घ खाटल	बिजौरी, निसणी, सेमलसारी, पालुका, नरयूंक, धारीभल्ली, कलोगी, हिमरौल, कफनौल, ठोलूंक, बर्नीगाड भु, तियाँ, बजलाडी, मानगगांव, बर्नीगाड खाटल	1-कुंवा-कफनौल मोटर मार्ग 2- कफनौल-ठोलूंक-दारसों होते हुये सेमलसारी मोटर मार्ग	1219800	1402770	1341780	1280790	439	527	388	446	148	163	18110	21100	1811
5	श्रेणी-ङ0	गोदीन, खमुण्डीतल्ली, खमुण्डीभल्ली, गारू, कलाजगांव, मलाडी, खिरमू बुसी, लादन, ओडगांव, जुगडागांव, मालागांव कखान, दियडी, सेतवाडी, डरोगी, भाटिया, गढ, चोपडा, कसलाना शान, नगणगांव, मसालगांव, खाण्ड , ब्याली, गैर वनाल	1-झमटा-कण्डारी- सारीगाड मोटर मार्ग 2-सारीगाड-गारू-मालागांव मोटर 3-दियडी-सेतवाडी मोटर मार्ग 4-किसना-भाटिया मोटर मार्ग 5-गमरागढ-चोपडा-कसलाना मोटर मार्ग 6- खाडा-खाण्ड-मसालगांव मोटर मार्ग 7-गैर-ब्याली मोटर मार्ग	1198400	1378160	1318240	1258320	202	242	168	193	146	161	18110	21100	1811






5	श्रेणी च दुर्बिल, पिन्डकी महेश, निसणी, कोठार, दागुणगाँव, कुपडा, त्रिखली, हलना, पाली, फूलधार, कुर्सेल, रसाला, सुकण, स्यालना, मनसाड़ी, कन्सेक, मोल्डा, कुण्डा, बघाणगाँव, बसराली, पटंगणी, पालर, कसालगाँव, मरसू, घुण्ड, घोसाली, जखाली, नाल्ड, कुड, सिसाला, कोटला, नखडगाँव, घण्डाला, झुमराडा, बिसाटगाँव, डेलडा, बिगराडी, करनाली, काण्डा, पौडी, छेटी, जेवडाडी, कुणी, गौल वनाल, नैणी, मटियाली, किम्मी, विगारी, पिसाठ, रस्टाडी, कडाठ, पालुका, नरयुंका, पमाडी, गैर भुमरसन्ती, विगारी, क्याडी, सधेट, कोटियाल गाँव, कन्सेला, खान्सी, बलाडी, बर्नीगाड, छुडी, तेडा, जरडा, भौली, सरणावक, खावला, कुमन, निसणी, नौगाँव, गोडर, ठेलुंका, कलोजगाँव, मताडी, केवतगाँव, खिरमू, जान्नुणगाँव, फुवाणगाँव, झिमाणगाँव, जुगाडगाँव, भुनडगाँव, कखोन,	उक्त कोई भी ग्राम मोटर मार्ग से आच्छादित नहीं है।	1177000	0	0	1235850	0	0	0	0	143	157	17094	20084
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------	---	---	---------	---	---	---	---	-----	-----	-------	-------

नोट-1-

अकृषि भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

- क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,  
ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,  
ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,  
घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,  
तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।  
2- 0.100 हैक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्गण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।  
3- भू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कान्तर पर स्थित हैं, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।  
4- बहुमंजलीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 जायेगी।

तहसिलदार

डुण्डा।

सहायक निबंधक,

सहायक निबंधक,

अधिसासी अभियंता

उपजिलाधिकारी

भटवाड़ी।

अपर जिलाधिकारी

उत्तरकाशी।

उत्तरकाशी।

उत्तरकाशी।

**जनपद उत्तरकाशी तहसील बड़कोट, (नगरीय क्षेत्र)**

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	कृषि भूमि (प्रति हे०)										सामान्य दर (Base Rate)										बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट की दर (प्रति वर्ग मीटर) (30: बृद्धि)		वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
				पूर्व से प्रचलित दर	प्रस्तावित दर			प्रस्तावित दर							अवधि	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	अवधि	अवधि	अवधि	अवधि	अवधि					
					0 से 50 मीटर (15% बृद्धि)	50 से 200 मीटर (10% बृद्धि)	200 मीटर से अधिक (5% बृद्धि)	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	अवधि	अवधि	अवधि	अवधि									अवधि	अवधि	अवधि	अवधि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
1	श्रेणी-क	नगर पंचायत बड़कोट-पंचायत बड़कोट वार्ड नं० 5 पत्तनगर-आई0टी आई रोड, मिथान भण्डार से नीचे जल निगम कालोनी तक वार्ड नं०-6 शस्त्रीनगर-आई0टीआई हैलीपैड, तहसील कार्यालय, वार्ड नं०-7 का भाग जयपुर, पी0डब्लू0डी0 कालोनी, हासपीटल एवं विद्युत विभाग	दिल्ली - यमनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	13915000	16002250	15306500	14610750	1610	1932	1540	1771	1365	1502	18993	18993	18993											
2	श्रेणी-ख	वार्ड नं० 1-गांधीनगर- बड़कोट गांव, चकली तोक, वार्ड नं०-3 पटेलनगर-कालेज से लक्ष्मीनारायण तक, वार्ड नं०-4 'सुभाष नगर' - नगर पंचायत आफिस / शिव मन्दिर का एरिया, नरुमुहल्ला व आरामशीन	दिल्ली - यमनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	13310000	15306500	14641000	13975500	1495	1794	1430	1645	1268	1395	18993	18993	18993											
3	श्रेणी-ग	वार्ड नं०-7 सुभननगर के पटेलनगर - एवं वार्ड नं०-2 गण्डिननगर ग्राम साड़ा, उपराडी, चक्रगांव का कुछ भाग - जंगलात विभाग, सिंचाई विभाग की कालोनी एवं पुरानी तहसील, केन्हा इण्डर कालेज, जयपुर, लो०नि०वि०, मन्दी मोहल्ला एवं पुरानी तहसील से नीचे व उपर का भाग	दिल्ली - यमनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	12705000	14610750	13975500	13340250	1380	1656	1320	1518	1170	1287	18993	18993	18993											

*(Handwritten signatures and marks)*

4	श्रेणी-घ	नगर पंचायत बड़कोट से बाहर एवं नगर पंचायत से लगे ग्राम बड़कोट, उपराही, साड़ा, चक्रगांव छटांगा, किसना (संलखेत)	दिल्ली - यमनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	12100000	13915000	13310000	12705000	1265	1518	1210	1392	1073	1180	18993	18993	18993
---	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------

नोट-1-अकृषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2- 0.100 हैक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

3- भू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो भागों पर अथवा कार्नर पर स्थित हैं, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजरीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12 % जायेगी।

तहसीलदार

सहायक निबन्धक,

अधिशाली अभियंता

उपजिलाधिकारी

अपर जिलाधिकारी

जिलाधिकार

हुण्डा।

सहकारी समितियां उत्तरकाशी।

लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।

भटवाड़ी।

उत्तरकाशी।

उत्तरकाशी

जनपद उत्तरकाशी तहसील पुरेला (नगरीय क्षेत्र)

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)												बहुमंजलीय आवसीय भवन में स्थित आवसीय (प्रति वर्ग मीटर)		वाणिज्यिक भवन व
				कृषि भूमि (प्रति हे०)				अकृषित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)								पलैट की दर (प्रति वर्ग मीटर) (30% वृद्धि)	रेस्टोरेन्ट / कार्यालय (30% वृद्धि)	दुकान / गोपि (प्रति वर्ग मीटर)
				पूर्व से प्रचलित दर	प्रस्तावित दर			प्रस्तावित दर										
					0 से 50 मीटर (15% वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10% वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (05% वृद्धि)	0 से 50 मीटर		50 से 200 मीटर		200 मीटर से अधिक		पूर्व दर	प्रस्तावित दर			
								पूर्व दर	प्रस्तावित दर (20% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (15% वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (10% वृद्धि)					
1	श्रेणी-क मुख्य मार्ग में लगे हुए विकसित ग्राम	नगर पंचायत पुरेला (पुरेला, खाबलीसेरा, छाडा, चक चंदेली, चकरदेली (खलाडी), कुरडा, छिबाला, मखना )	1- नौगांव पुरेला मोरी मोटर मार्ग के ग्राम पुरेला, खाबलीसेरा, छाडा, चक चंदेली 2- पुरेला कुरडा मोटर मार्ग के ग्राम कुरडा 3- पुरेला गुन्धियाटगांव मोटर मार्ग के ग्राम छिबाला 4- पुरेला कुमोला नौरी मोटर मार्ग के ग्राम मखना	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				7965000	9159750	8761500	8363250	822	986	815	937	810	891	17969	20959			

नोट-1-अकृषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

क-18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

ख-15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

ग-12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

घ-05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2- 0.100 हैक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

3- भू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित हैं, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजलीय आवसीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व जायेगी।

तहसीलदार

डुण्डा।

सहायक निबन्धक,

सहकारी समितियां उत्तरकाशी।

अधिशाली अभियंता

लो10नि10वि0 उत्तरकाशी।

उपजिलाधिकारी

भटवाड़ी।

अपर जिलाधिकारी

उत्तरकाशी।



जनपद उत्तरकाशी तहसील पुरेला (अर्द्धनगरीय क्षेत्र)

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)														बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की (प्रति वर्ग मीटर)
				कृषि भूमि (प्रति हे०)				अकृषित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)											
				पूर्व से प्रचलित दर	प्रस्तावित दर			प्रस्तावित दर											
					0 से 50 मीटर (15% वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10% वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (05% वृद्धि)	0 से 50 मीटर पूर्व दर	प्रस्तावित दर (20% वृद्धि)	50 से 200 मीटर पूर्व दर	प्रस्तावित दर (15% वृद्धि)	200 मीटर से अधिक पूर्व दर	प्रस्तावित दर (10% वृद्धि)	मीटर) (30% वृद्धि)	दुकान / रेस्तराँ / कार्यालय (30% वृद्धि)	वाणिज्यिक (30% वृद्धि)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	श्रेणी- क मुख्य मार्ग में लगे हुए अकिसित ग्राम	देवदुंग, कोटी, मोलकट, श्रीकाल गाढ़, गैस गोदाम (ठकाराडी), अंगोडा, धौकाखड़(चपटाडी)	1- पुरेला-गुन्दिगाटगांव मोटर मार्ग के ग्राम देवदुंग, कोटी 2- पुरेला-कुमोला, नौसे मोटर मार्ग के ग्राम मोलकट, ठकाराडी का श्रीकालगाढ़, गैस गोदाम तक 3- पुरेला-मोरी मोटर मार्ग के ग्राम अंगोडा 4- पुरेला-धडोली मोटर मार्ग के ग्राम चपटाडी का धौका खड़	7695000	8849250	8464500	8079750	795	954	787	905	783	861	17934	20924	179			

नोट-1-अकृषित भूमि / सम्पत्ति / कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि / सम्पत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2- 0.100 हेक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

3- भू-तल पर स्थित दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नेर पर स्थित हैं, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

बहुमंजलीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 4- जायेगी।

तहसीलदार

हुण्डा।

सहायक निबन्धक,

सहकारी समितियां उत्तरकाशी।

अधिशाली अभियंता

लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।

उपजिलाधिकारी

भटवाड़ी।

अपर जिलाधिकारी

उत्तरकाशी।

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)													
				कृषि भूमि (प्रति हे०)				अकुचित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)									
				पूर्व से प्रचलित दर	प्रस्तावित दर			प्रस्तावित दर								बहुमंजरीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय (प्रति वर्ग फुट की दर)	वाणिज्यिक भू
					0 से 50 मीटर (15% वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10% वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (05% वृद्धि)	0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	पूर्व दर	प्रस्तावित दर	पूर्व दर	प्रस्तावित दर	पूर्व दर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	श्रेणी-क ग्राभीण सड़को से लगे हुए ग्राम	विणगधेश वल्ता, विणगधेश पल्ता, हुड्डोली, मौपड़, सौन्दाली, चंदेली, घुण्डाडा, सुनाली, खिवरा लगा खुडकासेम, धामपुर, मठ, कण्डियालागांव, ठिकालगांव, गुन्द्रियाटगांव, सोन, रामगांव, वेस्टी वल्ली, वेस्ट पल्ली, मोल्टाडी प्रहरीयाँ की, कुमारकोट, मैरियाणा, ढकाड़ा, कुफारा, चपटाडी अर्द्धनगरीय धौका खुड्ड को छोडकर, पुजेली (ख०), खलाडी, अर्द्धनगरीय चक्रवेदी को छोडकर, नेत्री, करडा, दयमाणा, पुजेली (झ०), कुमोला, कोरना, ठकाराडी अर्द्ध नगरीय क्षेत्र श्रीकालगाढ नैस गोदात्म को छोडकर, पाणीगांव, खुडकासेम, भद्राली, नौरी, स्वील, महारगांव, भंकोली,	1- पुरेला-नौराँव मोटर मार्ग के ग्राम विणगधेश वल्ता, विणगधेश पल्ता, हुड्डोली, मौपड़, सौन्दाली, चन्देली, खिवरा लगा सुनाली, खिवरा लगा खुडकासेम, सुकडाळा 2- पुरेला-मोरी मोटर मार्ग के ग्राम घुण्डाडा, सुनाली, धिवरा लगा सुनाली, धिवरा लगा खुडकासेम, सुकडाळा 3- पुरेला-श्रीकोट मोटर मार्ग ग्राम श्रीकोट 4- पुरेला-पोरा मोटर मार्ग ग्राम पोरा 5- पुरेला-गुन्द्रियाटगाँव मोटर मार्ग के ग्राम धामपुर, मठ, कण्डियालागाँव, ठिकालगाँव, गुन्द्रियाटगाँव, सैन, रामा, वेस्टी वल्ली, वेस्टी पल्ली 6- पुरेला-गुन्द्रियाटगाँव, धामपुर एवं कुमारकोट के मोटर मार्ग के ग्राम मोल्टाडी (प्र०) कुमारकोट 7- पुरेला-ढकाड़ा, कुफारा मोटर मार्ग के ग्राम मैरियाणा, ढकाड़ा, कुफारा 8- पुरेला-खलाडी छडोली मोटर मार्ग के ग्राम चपटाडी, अर्द्धनगरीय क्षेत्र को छोडकर, पुजेली (ख०), खलाडी नगरीय क्षेत्र चक्र चन्देली को छोडकर, नेत्री, करडा 9- पुरेला-दडमाणा मोटर मार्ग के ग्राम दडमाणा 10- पुरेला-कुमोला पुजेली नौरी मोटर मार्ग के ग्राम पुजेली (झ०), कुमोला, कोरना, ठकाराली अर्द्धनगरीय क्षेत्र श्रीकालगाढ नैस गोदात्म को छोडकर 11- हुड्डोली-पाणीगाँव मोटर मार्ग के ग्राम पाणीगाँव 12- पुरेला-मठ-खडकासेम-भद्राली मोटर मार्ग के ग्राम खडकासेम, भद्राली 13- पुरेला-कुमोला-नौरी मोटर मार्ग के ग्राम नौर 14- पुरेला-सौदाडी-स्वील मोटर मार्ग के ग्राम स्वील 15- पुरेला-कण्डियालागांव-महरगाँव के ग्राम महरगाँव 16- बर्नीगाड-लाखामण्डल-भंकोली मोटर मार्ग के ग्राम भंकोली	1204000	1384600	1324400	1264200	728	874	717	825	151	166	17846	20836		

2	श्रेणी-ख अन्य ग्राम / अविकसित ग्राम / दुर्गम क्षेत्र	धत्ती, छमरोटा, कामरा, नाडासाखाल, कन्ताडी, बिणाई, नैलाडी, ठडुंग, खतेडी, शिकारू, पुषेली, सुराणूकीसेरी, रयालुका (खेडी), खेखरियाणी, मोटाडी (राजपूतों की), नामझाला, डुंकरा, सरगांव, लेवटाडी, डिगाडी, पौंटी, कसलौं, किमडार, छानिगांव, गौल, डोखरी, लमकोटी	तहसील पुराला अन्तर्गत अन्य ऐसे ग्राम जो सड़क / मोटर मार्ग से जुड़े हुए नहीं है ग्रामीण क्षेत्र	1182500	0	0	1241625	0	0	0	0	149	164	17094	20084
---	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	---	---------	---	---	---	---	-----	-----	-------	-------

नोट-1-अकृषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2- 0.100 हैक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

3- भू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नेर पर स्थित हैं, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजरीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 12

तहसीलदार  
डुण्डा।

सहायक निबन्धक,  
सहकारी समितियां उत्तरकाशी।

अधिशाली अभियंता  
लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।

उपजिलाधिकारी  
भटवाड़ी।

अपर जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी।

# जनपद उत्तरकाशी तहसील मोरी (ग्रामीण क्षेत्र)

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)													बहुमंजरीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट की दर सुपर फ्लैट (प्रति वर्ग मीटर) (30 प्रतिशत वृद्धि)	वाणिज्यिक भवन की दर	
				कृषि भूमि (प्रति हे०)				अकुशित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)				प्रस्तावित दर						हुकान / सेक्टर/सुट / कार्यालय (30 प्रतिशत वृद्धि)	अन्य
				पूर्व से प्रचलित दर	प्रस्तावित दर			0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (20 प्रतिशत वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (15 प्रतिशत वृद्धि)	पूर्व दर	प्रस्तावित दर (10 प्रतिशत वृद्धि)			
					0 से 50 मीटर (15 प्रतिशत वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10 प्रतिशत वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (05 प्रतिशत वृद्धि)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	श्रेणी - क	1- बिवा, 2- किराणू, 3- आराकोट, 4- बरनाली, 5- कुकरेडा(खुनीगाड तोक), 6- खरसाही, 7- ओडाटा(मोरा तोक), 8- बामसू(मादल चक), 9- थली(भूटोत्रा उगमेर तोक), 10- सेरांश (विन्दी तोक), 11- बैनोल(केवला तोक), 12- सालरा(देई तोक), 13- गैझाणगांव 14- सांकीरी, 15- दणगाणगांव, 16- कोटगांव, 17- सिंदरी, 18- जखोल, 19- पांव तल्ला, 20- सुनकुडी 21- गोकुल, 22- धारा, 23- झोटाडी।	1- पुरेला - मोरी- आराकोट- बिवा- बालवा मोटर मार्ग, 2- मोरी - नैटवाड- सांकीरी- जखोल मोटर मार्ग	1268500	1458775	1395350	1331925	342	410	295	339	159	175	17345	20335	17345			
2	श्रेणी - ख	1- जागाटा, 2- डगोली	1- पुरेला - मोरी - बिवा मोटर मार्ग	1225500	1409325	1348050	1286775	331	397	285	328	154	169	17330	20320	17330			
3	श्रेणी - ग	1- मौण्डा, 2- बलावट, 3- धापली, 4- अडासू, 5- डुवाणू, 6- माकुडी, 7- गामरी, 8- पावली, 9- भूटाणू, 10- नैजाणी, 11- किराली, 12- मौलाड, 13- पासा, 14- पोखरी, 15- देवरा, 16- सौड, 17- नैटवाड, 18- दोणी, 19- पांव मल्ला।	1-बिवा - मौण्डा जीप मार्ग, 2- टिकोही - डुवाणू मोटर मार्ग, 3- बरनाली - माकुडी मोटर मार्ग, 4- खुणी - गामरी - भूटाणू मोटर मार्ग, 5- मोरी - मौलाड मोटर मार्ग, 6- पासा - पोखरी मोटर मार्ग, 7- नैटवाडी - देवरा मोटर मार्ग, 8- नैटवाड - दोणी	1204000	1384600	1324400	1264200	325	390	280	322	151	166	17323	20313	17323			

*(Handwritten signatures and marks)*

4	श्रेणी घ	1- कलीच, 2- भंकाड़, 3- बेगल, 4- कुकरेडा, 5- डामटी धुनारा, 6- देवती, 7- थली, 8- बामसू, 9- ओड़टा, 10- सरास, 11- पेतडी, 12- साला, 13- पैसर, 14- गुराडी, 15- हल्टाडी, 16- स्वीचाणगांव, 17- देवजानी, 21- जेवाणू, 22- डाडागांव, 23- रमलागांव, 24- डोमालगांव, 25- गिगासारी, 26- खेडमी, 27- नेत्रुशा, 28- नूराणू, 29- कलाप, 30- पुजेली, 31- देवल, 32- खन्दासणी, 33- खन्ना, 34- वालगांव, 35- सेवा, 36- सटटा, 37- मसरी, 38- बरी, 39- हड़वाडी, 40- भितरी, 41- गंगाड, 42- ओसला, 43- पवाणी, 44- ढाटपीर, 45- धारा पर्वत, 46- सट्टडी, 47- सावणी, 48- सिरगा, 49- भिताडी, 50- रेखा, 51- कासला, 52- साला, 53- लिवाडी, 54- बैनेल ।	तहसील मोरी के अन्तर्गत ऐसे ग्राम जो सड़क/मीटर माय से जुड़े हुए नहीं है ग्रामीण क्षेत्र	1182500	0	0	1241625	0	0	0	0	149	164	17094	20084	17094
---	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	---	---------	---	---	---	---	-----	-----	-------	-------	-------

अकृषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

नोट-1-

- क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,  
ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,  
ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,  
घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित हैं या,

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

- 2- 0.100 हैक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

- 3- भू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित हैं, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

- 4- बहुमंजरीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 05, 07 व 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

  
तहसीलदार  
डुण्डा।

सहायक निबन्धक,  
सहकारी समितियां उत्तरकाशी।

अधिकासी अभियंता  
लोनि0वि0 उत्तरकाशी।

उपजिलाधिकारी  
भटवाड़ी।

अपर जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी।

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)																	
				कृषि भूमि (प्रति हे०)			अकृषित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)														
				पूर्व से प्रचलित दर	प्रस्तावित दर			प्रस्तावित दर													
					0 से 50 मीटर (15 प्रतिशत वृद्धि)	50 से 200 मीटर (10 प्रतिशत वृद्धि)	200 मीटर से अधिक (05 प्रतिशत वृद्धि)	0 से 50 मीटर		50 से 200 मीटर		200 मीटर से अधिक		भवन में स्थित आवासीय		वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	श्रेणी-क	नानाई (मोरी)	पुरोला मोरी नैटवाड जखोल मोटर मार्ग	3540000	4071000	3894000	3717000	383	460	375	431	360	396	17368	20358	17368					

नोट-1-

- तहसीलदार  
डुण्डा।

सहायक निबन्धक,  
सहकारी समितियां उत्तरकाशी।

अधिरासी अभियंता  
ला०नि०वि० उत्तरकाशी।

उपजिलाधिकारी  
भटवाड़ी।

अपर जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी ।

जिलाधिव  
उत्तरका

## जनपद उत्तरकाशी तहसील मोरी, (नगरीय क्षेत्र)

क्रम संख्या	श्रेणी	ग्राम का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (Base Rate)													
				पूर्व से प्रचलित दर	कृषि भूमि (प्रति हे०)			अकृषित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)						बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)
					प्रस्तावित दर			प्रस्तावित दर							दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0 से 50 मीटर	50 से 200 मीटर	200 मीटर से अधिक	0 से 50 मीटर		50 से 200 मीटर		200 मीटर से अधिक					
								पूर्व दर	प्रस्तावित दर	पूर्व दर	प्रस्तावित दर	पूर्व दर	प्रस्तावित दर				

शून्य

नोट-1- अकृषित भूमि/सम्पत्ति/कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निधारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु उपरोक्तानुसार निधारित मानी जायेगी किन्तु यदि, उक्त भूमि/सम्पत्ति

क- 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ख- 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

ग- 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

घ- 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है या,

तो उक्त दशा में श्रेणीवार निधारित सामान्य दर में क्रमशः 10 प्रतिशत, 09 प्रतिशत, 07 प्रतिशत, 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2- 0.100 हैक्टेयर (1000 वर्ग मीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निधारित दरें ही लागू की जायेगी।

3- भू-तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित हैं, तो श्रेणीवार सामान्य दर अनुपातिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4- बहुमंजलीय आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन एवं गैर वाणिज्यिक भवन के क्रय-विक्रय के लिए यह भू-तल की दरें हैं। बेसमेंट एवं प्रथमतल, द्वितीय तल व तृतीय तल, तथा तृतीय तल से अधिक के लिए भू-तल की दरों में क्रमशः 12 प्रतिशत की कमी की जायेगी।

 **तहसीलदार**

 **सहायक निबन्धक,**

**हुण्डा। सहकारी समितियां उत्तरकाशी।**

 **अधिशासी अभियंता**

**लो०नि०वि० उत्तरकाशी।**

 **उपजिलाधिकारी**

**मटवाड़ी।**

 **अपरा जिलाधिकारी**

**उत्तरकाशी।**

**जिलाधिकारी**

**उत्तरकाशी।**